State Council of Educational Research & Training Chhattisgarh, Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र.क्र. / SCERT / NGO / पंजीयन / 2024–25 / 2344 रायपुर दिनांक 11/06/2024

प्रति,

समस्त गैर शासकीय संस्थाएँ
(NGOs) / Civil Society

विषयः–छत्तीसगढ़ में अकादमिक कार्यों के लिए **निःशुल्क सेवाओं के आधार पर** गैर शासकीय संस्थाओं के पंजीयन बाबत्।

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 23–03 / 2021 / 20–तीन रायपुर दिनांक 06.03.2021 के अनुसार राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ में अकादमिक कार्यों के लिए गैर शासकीय संस्थाओं के साथ निःशुल्क सेवायें / सहयोग प्राप्त किये जाने के शर्त पर अनुबंध करने के लिए संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ को अधिकृत किया गया है।

इस कार्य को संपादित करने के प्रावधानों के अधीन निम्न दिशा निर्देश :–

1. विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों में एकरूपता गुणात्मक विकास एवं एक समयबद्ध निर्धारित लक्ष्य के उद्देश्य से गैर शासकीय संस्थाओं के कार्य और उनके कार्य क्षेत्र को सूचीबद्ध करते हुए परिषद् द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है।
2. इच्छुक गैर शासकीय संस्थान link http://ngosdetails.scertcg.in/NGOSEntry_2024_25.aspx द्वारा अपनी सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन उपलब्ध करवाते हुए स्वयं को **दिनांक 17 जून 2024 तक पंजीकृत करवा सकते हैं।**

   पंजीकरण हेतु निम्न जानकारियों की प्रविष्टि की जानी है –
   - संस्था का नाम, संस्था प्रमुख का नाम, संपर्क अधिकारी का नाम, संपर्क अधिकारी का मोबाइल नंबर, ई–मेल आईडी।
   - संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं मुख्यालय का पता
   - संस्था का कार्यक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय / प्रदेश / जिला
   - प्रस्तावित कार्य, योजना का उद्देश्य लक्ष्य
   - लक्ष्य समूह (Target group) डी.ई.ओ / डी.एम.सी. / बी.ई.ओं / प्रिंसिपल / बी.आर.सी / एच.एम. / सी.ए.सी / शिक्षक / छात्र अध्यापक / स्कूली बच्चे / अन्य
   - प्रस्तावित कार्य कर क्षेत्र (Area) – राज्य स्तर / संभाग स्तर / जिला स्तर / विकासखंड स्तर / संकुल स्तर / विद्यालय स्तर / अन्य
   - कार्य करने की समय सीमा
   - रिपोर्ट की जावेगी मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक
   - पूर्व में किये गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण
   - अन्य कोई जानकारी देना चाहें
3. राज्य के संदर्भ में प्रस्ताव की उपयोगिता एवं आवश्यकता की समीक्षा हेतु पंजीकृत गैर शासकीय संस्था को एक निश्चित तिथि एवं समय दिया जाएगा ताकि वे अपनी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण कर सके।

4. प्रस्ताव जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों पर आधारित होंगे, वे परिषद की प्राथमिकता में होंगे।
5. गैर शासकीय संस्थाओं के प्रस्तुतीकरण पश्चात समिति द्वारा उपयोगी प्रस्तावों का चयन गहन समीक्षा के आधार पर किया।
6. गैर शासकीय संस्थान अनुबंध आधार पर आबंटित कार्य क्षेत्र में संपादित कार्य की रिपोर्ट समय–समय पर परिषद् को प्रस्तुत करेंगे। परिषद संस्थान द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा करेगी। यदि संपादित कार्य गुणवताहीन एवं अनुपयोगी पाया जाता है तो परिषद् को किसी भी समय अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. राज्य में पूर्व से कार्यरत गैर शासकीय संस्थानों को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसी संस्थाएं भी निर्धारित तिथि तक स्वयं को पंजीकृत करते हुये समिति के समक्ष अपना प्रस्तुतीकरण देंगी।
8. किसी भी गैर शासकीय संस्थान द्वारा राज्य की किसी भी शिक्षण संस्था में सर्वेक्षणा प्रशिक्षण सेंम्पल सर्व इत्यादि कार्य, परिषद की बिना अनुमति के नहीं किये जा सकेंगे।
9. जो संस्था पूर्व में पंजीयन करा चुके हैं उन्हें पुनः Website में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है।

संपूर्ण प्रक्रिया के लिए परिषद् का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त विषय के संबंध में परिषद् के एन.जी.ओ. प्रभारी श्री डेकेश्वर प्रसाद वर्मा (9425212587) से संपर्क कर सकते हैं। Website में पंजीकरण संबंधी समस्या के निराकण हेतु श्री संतोष तम्बोली (9685812265) से संपर्क किया जा सकता है।

(राजेन्द्र कुमार कटारा) IAS
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

पृ.क्र./SCERT/NGO/पंजीयन/2024–25/ 2345 रायपुर दिनांक 11/06/2024

प्रतिलिपि–

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण. संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, समय शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग)को सूचनार्थ।
4. कलेक्टर (समस्त), छ.ग. को सूचनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त), छ.ग. को सूचनार्थ।
6. जिला मिशन समन्वयक (समस्त), छ.ग. को सूचनार्थ।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर